

प्रेषक,

अशोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

निदेशक,
कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग,
उ०प्र०, लखनऊ।



खादी एवं ग्रामोद्योग अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक : 29 दिसम्बर, 2010.

विषय : सामान्य वर्ग के लाभार्थियों हेतु कौशल सुधार प्रशिक्षण योजना वर्ष 2010-11 की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उ०प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के पत्र संख्या 731/खा०प्रा०बो०/नियो०/बजट/2010-11 दिनांक 08.11.2010 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 में कौशल सुधार प्रशिक्षण योजना, सामान्य हेतु प्राविधानित धनराशि रु० 25,00,000.00 (रुपये पच्चीस लाख मात्र) की धनराशि में से अवशेष द्वितीय छः माह के लिए पचास प्रतिशत की धनराशि रु० 12,50,000.00 (रुपये बारह लाख पचास हजार मात्र) की अवशेष धनराशि स्वीकृत कर संलग्नक फॉट के अनुसार निदेशक, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग के निवर्तन पर रखने की निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1. उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि व्यय करते समय आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या बी-1-951/दस-2010-231/2010, दिनांक 26 मार्च, 2010 एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता बरते जाने के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर 369 एच के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 में महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ०प्र० इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। साथ ही व्यय की गई धनराशि का मासिक व्यय विवरण प्रपत्र बी०एम०-13 (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6 को उपलब्ध कराया जाय।
3. उक्त स्वीकृत धनराशि का लेखा महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ०प्र०, इलाहाबाद या उनके द्वारा मनोनीत अन्य किसी अधिकारी द्वारा जांच के लिए उपलब्ध रहेगा। यह लेखा कम्प्ट्रोलर एवं आडिटर जनरल या उनके द्वारा मनोनीत किसी अन्य अधिकारी द्वारा टेस्ट आडिट के लिए उपलब्ध रहेगा।
4. निदेशक द्वारा स्वीकृत धनराशि का उपयोग करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पूर्व स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर महालेखाकार उ०प्र० इलाहाबाद तथा शासन के वित्त विभाग एवं प्रशासकीय विभाग को उपलब्ध हो जाये।

२

प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-05 के लेखा शीर्षक "2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-आयोजनागत-105-खादी ग्रामोद्योग-26-कौशल सुधार प्रशिक्षण-4.4-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय" के अन्तर्गत व्यवस्थित धनराशि के नामें डाला जायेगा।

ये आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-ई-6-565/वस-2010 दिनांक 07.12.2010 में प्राप्त उनकी सहमति से वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा रही है।

संलग्नक : चथोक्त।

भवदीय,



(अशोक कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्या : 1203 (1)/59-2-2010-18(खा)/2009 तददिनांकित।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, इलाहाबाद।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4/औद्योगिक विकास अनुभाग-3
6. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उ०प्र०, 126, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ०प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ।
8. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ०प्र० इलाहाबाद।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(डा० अशोक चन्द्र)
संयुक्त सचिव


शासनादेश संख्या- 1203/59-2-2010-18(खा)/2009 दिनांक

2010 का संलग्नक

**वर्ष 2010-11 में कौशल सुधार प्रशिक्षण योजना (सामान्य) हेतु प्रशिक्षण केन्द्रों की
अवशेष वित्तीय स्वीकृति**

| क्रमांक | केन्द्र का नाम | धनराशि (लाख रु० में) | प्रशिक्षार्थियों की संख्या |
|---------|--|-------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, डालीगंज, लखनऊ | 1.50 | 75 |
| 2. | मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, खजनी, गोरखपुर | 1.50 | 75 |
| 3. | मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, आहोपट्टी, आजमगढ़ | 0.50 | 25 |
| 4. | मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, रतनपुरा, मऊ | 1.00 | 50 |
| 5. | मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, बहराइच | 1.00 | 50 |
| 6. | मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, अनुवा, इलाहाबाद | 1.50 | 75 |
| 7. | मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, कालपी, जालौन | 1.50 | 75 |
| 8. | मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, पिपरीला, शाहजहांपुर | 1.50 | 75 |
| 9. | मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, अडिग, मथुरा | 1.50 | 75 |
| 10. | मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, नजीबाबाद, बिजनौर | 1.00 | 50 |
| | योग | 12.50 | 625 |

(रुपये बारह लाख पचास हजार मात्र)


 (डा० अशोक चन्द्र)
 संयुक्त सचिव